प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - अ [7/2/2026]

प्रश्न [... 14]

कार्यालय जिला पंचायत श्योपुर, मध्यप्रदेश

(Ph. No. 07530-221240, Email- ceozpshc-mp@nic.in)

क्र./जि.पंचा./मनरेगा/विधानसभा/14/2026/377

प्रति,

श्योपुर दिनांक 02/02/26

उपायुक्त,
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी,
परिषद भोपाल

विषय :- विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 14 द्वारा श्री मुकेश मल्होत्रा मान. विधायक विजयपुर जिला श्योपुर का संशोधित उत्तर प्रस्तुत करने के संबंध में

संदर्भ:- आपके कार्यालयीन पत्र क्रमांक/3715/योजना/एनआर-1/2026 भोपाल दिनांक 23.01.2026।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 14 द्वारा श्री मुकेश मल्होत्रा मान. विधायक विजयपुर जिला श्योपुर द्वारा आदिवासी परिवारों के पलायन पर रोक की जानकारी चाही गई है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या श्योपुर जिलें में 50 प्रतिशत से अधिक सहरिया आदिवासी परिवार राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एवं पंजाब राज्यों में रोजगार के लिए पलायन क्यों कर रहे है?	(क) जी नहीं
(ख)	यदि हॉ तो क्या पलायन करने का कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार की अनुउपलब्धता है?	(ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
(ग)	क्या श्योपुर जिलें में शासन-प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर पलायन कर रहे आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना या श्योपुर में कोई उद्योग खोलने की योजना विचाराधीन है जिससे लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके जानकारी दें?	(ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत स्थानीय स्तर पर एक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार दिये जाने का प्रावधान है। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला श्योपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 43 श्योपुर दिनांक 27.01.2026 के द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार श्योपुर जिलें में कोई उद्योग स्थापना हेतु प्रक्रियाधीन नहीं है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न)

(सौम्या आनंद) भा.प्र.से.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत श्योपुर(म.प्र.)

पृ क्र./जि.पंचा./मनरेगा/विधानसभा/14/2026/378

प्रतिलिपि :-

- आयुक्त चंबल संभाग मुरैना की ओर सूचनार्थ।
- कलेक्टर जिला श्योपुर की ओर सूचनार्थ।

श्योपुर दिनांक 02/02/26

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत श्योपुर(म.प्र.)

कार्यालय महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, श्योपुर (म.प्र.)

क्रमांक/जिव्याउके-श्यो./वि.स./2025/ 43 श्योपुर, दिनांक 27.01.2026

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कार्यालय,
जिला श्योपुर (म.प्र.)

विषयः- विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक- 14 द्वारा माननीय श्री मुकेश मल्होत्रा – आदिवासी परिवारों के पलायन पर रोक के सम्बन्ध में जानकारी बावत।

♦♦♦

विषयान्तर्गत विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-14 द्वारा माननीय श्री मुकेश मल्होत्रा द्वारा चाही गई जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या श्योपुर जिले में 50 प्रतिशत से अधिक सहरिया आदिवासी परिवार राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एवं पंजाब राज्यों में रोजगार के लिए पलायन क्यों कर रहे है?	एमएसएमई विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं में निहित प्रावधान अनुसार सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ दिया जाता है।
(ख)	यदि हाँ तो क्या पलायन करने का कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार की अनुपलब्धता है?	एमएसएमई विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं में निहित प्रावधान अनुसार सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ दिया जाता है।
(ग)	क्या श्योपुर जिले में शासन-प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर पलायन कर रहे आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना या श्योपुर में कोई उद्योग खोलने की योजना विचाराधीन है, जिससे लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके। जानकारी दें।	MSME विभाग द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना संचालित है। विभाग द्वारा श्योपुर जिले में कोई उद्योग स्थापना हेतु प्रक्रियाधीन नहीं है। परंतु इच्छुक सभी वर्गों के निवेशकों को उद्योग स्थापना एवं MSME प्रोत्साहन योजना 2025 हेतु परामर्श, सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किये जाते है।

महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
जिला श्योपुर (म.प्र.)